

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :- 91/2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।
-वादी

बनाम

1. काली पत्नी जगदीश
2. जयराम पुत्र बालूराम
3. देवकी पुत्री रामकरण
4. धर्मा पुत्री जगदीश
5. नाथूराम पुत्र हरसहाय
6. प्रेम पुत्री हरसहाय
7. बलराम पुत्र रामकरण
8. बिमलादेवी पुत्री बालूराम
9. मंजू पुत्री जगदीश
10. मंजूदेवी पुत्री बालूराम
11. ममता पुत्री रामकरण
12. मोहनी पुत्री हरसहाय
13. रतनलाल पुत्र जगदीश
14. रामकिशन पुत्र रामकरण
15. रामादेवी पत्नी बालूराम
16. लक्खाराम पुत्र हरसहाय
17. विक्रम पुत्र रामकरण
18. श्रीराम पुत्र बालूराम
19. सजना पत्नी रामकरण
20. सजनादेवी पुत्री बालूराम
21. सुरज्ञान पुत्र हरसहाय
22. सीताराम पुत्र बालूराम



समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

23. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
(राज.) - प्रतिवादीगण


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दादा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निवेद्याज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 20/3/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी सवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 5609 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, सम्पूर्ण में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 काली हिस्सा 1/56, प्रतिवादी संख्या 2 जयराम का हिस्सा 2/35, प्रतिवादी संख्या 3 देवकी का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 4 धर्मा हिस्सा 1/56, प्रतिवादी संख्या 5 नाथूराम का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 6 प्रेम का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 7 बलराम का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 8 विमलादेवी का हिस्सा 2/35, प्रतिवादी संख्या 9 मंजू का हिस्सा 1/56, प्रतिवादी संख्या 10 मंजूदेवी का हिस्सा 2/35, प्रतिवादी संख्या 11 ममता का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 12 मोहनी का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 13 रतनलाल का हिस्सा 1/56, प्रतिवादी संख्या 14 रामकिशन का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 15 रामा देवी का हिस्सा 2/35, प्रतिवादी संख्या 16 लक्खाराम का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 17 विक्रम का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 18 श्रीराम का हिस्सा 2/35, प्रतिवादी संख्या 19 सजना का हिस्सा 1/84, प्रतिवादी संख्या 20 सजनादेवी का हिस्सा 2/35, प्रतिवादी संख्या 21 सुरज्ञान का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 22 सीताराम का हिस्सा 2/35, के अनुसार रिकार्ड काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 22 मौके पर मनबट एवं आपसी बाहमी बटवारा के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त हैं। जिसे वाद पत्र के अन्य मदों में विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण सयुक्त रूप से मनबट के आधार पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 के तालूकात कुछ असामाजिक तत्वों व भू-माफिया किस्म के लोगो से हैं तथा वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित उक्त भूमि के अविभाजित हिस्सा 1/10 पर मनबट के आधार पर काबिज काश्त व निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन वेदखल कर विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर बैचान करने पर आमामादा हैं। जिन्हें कानूनन बिना तकासमा कराये भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने व बैचान करने का वैधानिक अधिकार नहीं हैं, तथा कानूनन अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हर एक इंच पर हक व हिस्सा व अधिकार माना जाता है, लेकिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे कश्त की भूमि से ताकत व संख्या बल के जौर पर उनके



सहायक कलेक्टर
आसताग (जिला-जयपुर) राज.



कब्जे से बेदखल कर भूमि को हड़पना चाहते हैं तथा वादी की भूमि को ओने पोने दामो में खरीदना चाहते हैं। जिसका उन्हें भूमि के विधिक विभाजन के बिना कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यह कि दिनांक 04/08/2023 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर फसल को देखने गया तब प्रतिवादी संख्या 5 नाथूराम कुछ अजनबी लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये और मुझे मेरे हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये बैचान करने की धमकी दी व आयंदा इस पर काश्त करने से मना कर दिया जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो उक्त भूमि को भू-माफियाओं को बैचान करेगें व खुर्द बुर्द कर तुम्हें बेदखल करके रहेगें, तथा तू तो अकेला है और हमारे कई अधिकारियों व भू-माफियाओं से तालूकत है तथा प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर सहकश्तकारान् की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर मनचाहे तरीके से कब्जा करने व खुर्द बुर्द करने बैचान व बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी को बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में जबरन बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा अब वादी को संयुक्त खाते के रूप में काश्त करना असंभव हो गया है। इसलिए वादी को अपने हिस्से व कब्जे की सुरक्षा हेतु यह दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्तियों को बैचान करने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने व वादी को उसके मनबटी काबिज हिस्से की भूमि से बेदखल करने व भूमि की किस्म कृषि से गैर कृषि में समपरिवर्तन कराये बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं यदि प्रतिवादीगण ऐसा कृत्य करने में कामयाब हो जाते हैं तो वादी अपने वैधानिक अधिकारों से महरूम हो जायेगा तथा बिना वजह मुकदमो की बाहुल्यता बढेगी, इसलिए प्रतिवादीगण को ऐसा अवैधानिक कार्य करने से रोकने व वादी के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिये

यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।



अन्त में निवेदन किया कि यह कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित ग्राम पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित जमाबन्दी जमाबन्दी सवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 5609 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, सम्पूर्ण में वादी का 1/10 हिस्सा सम्पूर्ण में जमाबन्दी में दर्ज वादी के हिस्से 1/10 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे एवं बाद विभाजन प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त व

सहायक कलेक्टर

उसके उपयोग उपयोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, न करे न ही वैधान हस्तान्तरण करे, कच्चा पक्का निर्माण नही करे, बाधा न खराब करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5, 16, 17, 21 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल गुप्ता ने अप्पडरटेकिंग दी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4, 6, 8 लगायत 13, 15, 18 लगायत 20 व 22 बाद तागील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनांक 06.11.2024 को वकील उभयपक्ष ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी तदानुसार दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने वावत् निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0310/2024/5381 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में वकील प्रतिवादी को कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने हेतु उचित अवसर प्रदान किये गये परन्तु अवसर दिये जाने पश्चात् भी वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश नहीं करने पर वकील प्रतिवादी का आपत्ति पेश करने हेतु अवसर बंद किया गया एवं वकील वादी ने दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।



आदेश


उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 5609 रकबा 0.3300 हैक्टियर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. काली पत्नि जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूशाम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर)

खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, भागीरथ पुत्र गोदूराम हिस्सा 1/10 जाति जाट निवासी ए-51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजु देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नी बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदारान् के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5609/1 रकबा 0.0400 है0 भूमि शामलाती रास्ते हेतु रहेगी।

2. काली पत्नि जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजु देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नि बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार,




 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.



सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5609/2 रकबा 0.2610 है0 भूमि रहेगी।

3. भागीरथ पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी ए-51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5609/3 रकबा 0.0290 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(संजीव कुमार) खेदर, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :- 91/2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

-वादी

बनाम


1. काली पत्नी जगदीश
2. जयराम पुत्र बालूराम
3. देवकी पुत्री रामकरण
4. धर्मा पुत्री जगदीश
5. नाथूराम पुत्र हरसहाय
6. प्रेम पुत्री हरसहाय
7. बलराम पुत्र रामकरण
8. बिमलादेवी पुत्री बालूराम
9. मंजू पुत्री जगदीश
10. मंजूदेवी पुत्री बालूराम
11. ममता पुत्री रामकरण
12. मोहनी पुत्री हरसहाय
13. रतनलाल पुत्र जगदीश
14. रामकिशन पुत्र रामकरण
15. रामादेवी पत्नी बालूराम
16. लक्खाराम पुत्र हरसहाय
17. विक्रम पुत्र रामकरण
18. श्रीराम पुत्र बालूराम
19. सजना पत्नी रामकरण
20. सजनादेवी पुत्री बालूराम
21. सुरज्ञान पुत्र हरसहाय
22. सीताराम पुत्र बालूराम



- समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
23. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
(राज.) - प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 20/3/25


सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 120 के खसरा नम्बर 5609 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. काली पत्नि जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, भागीरथ पुत्र गोदूराम हिस्सा 1/10 जाति जाट निवासी ए-51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/56 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नी बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 1/84 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/14 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 2/35 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदारान् के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5609/1 रकबा 0.0400 है0 भूमि शामलाती रास्ते हेतु रहेगी।
2. काली पत्नि जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, जयराम पुत्र बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, देवकी पुत्री रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, धर्मा पुत्री जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, नाथूराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, प्रेम पुत्री हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बलराम पुत्र रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बिमला देवी पुत्री बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू पुत्री जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मंजू देवी पुत्री



सहायक कलेक्टर
जयपुर (जिला-जयपुर) राज.



बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, ममता पुत्री रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मोहनी पुत्री हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 23/1160 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, रामादेवी पत्नि बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, लक्खाराम पुत्र हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, विक्रम पुत्र रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, श्रीराम पुत्र बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पत्नि रामकरण हिस्सा 23/1740 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजनादेवी पुत्री बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सुरज्ञान पुत्र हरसहाय हिस्सा 1036/13050 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र बालूराम हिस्सा 4/63 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5609/2 रकबा 0.2610 है0 भूमि रहेगी।

3. भागीरथ पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी ए-51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5609/3 रकबा 0.0290 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुरेंजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 20/3/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।



(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (मुद्रा/ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.